

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

देवरा देवनारायण कॉलोनी की 24 बीघा भूमि हुई नगर निगम रतलाम के नाम

रतलाम 23 अप्रैल । देवरा देवनारायण कॉलोनी की 24 बीघा भूमि का स्वामित्व न्यायालय तहसीलदार तहसील रतलाम शहर द्वारा नगर निगम रतलाम को आदेश पारित कर गया।

उक्त भूमि का प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित था कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निपटारे के लिए निगम आयुक्त तथा राजस्व विभाग को निर्देशित किये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जा कर भूमि का नामांतरण नगर निगम रतलाम के नाम किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा 1991 में 24 बीघा भूमि देवरा देव नारायण ट्रस्ट से अधिग्रहित की गई थी तब न्यास द्वारा 5 लाख की राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2015 में शेष राशि 19 लाख नगर निगम रतलाम द्वारा ट्रस्ट को भुगतान की गई थी किन्तु नामांतरण लंबित था कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रकरण के निपटारे हेतु पहल करते हुए निराकरण करवाया गया तहसीलदार शहर न्यायालय द्वारा शुक्रवार को आदेश पारित कर दिया गया।

दो दिवस में 216 मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

कचरा संग्रहण हेतु लगाई 505 ट्रीप

रतलाम 23 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा

रहा है जिसके तहत 22 व 23 अप्रैल को 216 मीट्रिक टन कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

22 व 23 अप्रैल को डम्पर से 50160 किलोए टे^अ कटर से 18400 किलोए मैजिक सूखा कचरा 97320 किलोए मैजिक गीला कचरा 28325 किलोए सेनेटरी कचरा 6^ए5^ए घरेलू हानिकारक कचरा 4^ए4 किलो इस तरह कुल 216445^ए9 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

कचराए गंदगी व अतिक्रमण करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना मोहन नगर व सायर चबुतरा में दुकानें सील

रतलाम 23 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 22 व 23 अप्रैल को 16 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया साथ ही मोहन नगर में 2 व सायर चबुतरा में 1 दुकान को सील किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विकास.सज्जनलाल सुराणाए अशोक बाफना पर 5000.5000ए मोहम्मद सिद्धीकए पंचन मेवाद कुमावत नया मंदिर धर्मशालाए मुबारिक खान पर 2000.2000ए मोहम्मद रफीकए विमल कुमारए मुकेशए अब्दुलए मनोज शर्मा टिल्लूभाईए माहेश्वरीजीए दिलीपचन्द गोटूलालए अमृत टे^अ डिंग पर 500.500ए शिव राठौरए कन्हैयालालए महेन्द्रसिंहए प्रेम आचार्य पर 250.250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगीए अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

नगर निगम के विभिन्न करों से 21^{ए57} लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 23 अप्रैल । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 21 व 22 अप्रैल को कुल राशि रूपये 21^{ए57ए692} का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 21 व 22 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 655869^ए वसूली दल 346054 कुल 1001923^ए जलकर कार्यालय से 376237^ए वसूली दल 204860 कुल 581097^ए स्पॉट फाईन 26700^ए दुकान.गुमटी किराया कार्यालय 60066^ए वसूली दल 17178 कुल 77244 व लीजरेंट 470698 इस तरह कुल राशि रूपये 21^{ए57ए692} का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

61 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 23 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 22 व 23 अप्रैल को प्रातः 42 व दोपहर में 19 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

22 अप्रैल बुक्रवार को झोन क्रमांक 1 में रानीबाई पति आजादए लक्ष्मीबाई पति किशोरए रविन्द्र.मांगीलालए जगदीष.बेजूए सुरेन्द्र.नेहरूए विजय.शांतिलालए सतीष. गोवर्धनए बादल.दिलीपए विककी.दिनेषए अजय.विनोदए राकेश.रतनलालए विजय.

फुलचन्दए झोन क्रमांक 2 में रमेश.मुंषीए जितेन्द्र.जीवनए जितेन्द्र.बाबुलालए महेन्द्र. नेहरूए षकुन्तलाबाई पति रामचन्द्रए शिवकन्याबाइ पति रमेशए राकेश.अशोकए दीपक.राजूए कन्हैया.कमलए झोन क्रमांक 3 में सोनूबाई पति जीवनए राधाबाई पति कैलाषए मुकेश.गोवर्धनए झोन क्रमांक 4 में राहूल.मनोहरए दोपहर की शिफ्ट झोन क्रमांक 2 में नरेन्द्र.पप्पूए रघुवीर.पुनमचन्दए उशाबाई पति मनोहरए गीताबाई पति कुन्दनए इन्द्राबाई पति दिनेषए झोन क्रमांक 3 में मनीश.विजयए रोहित.पवनए मुन्नीबाई पति ईश्वर इस तरह 33 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

23 अप्रैल शनिवार को झोन क्रमांक 1 में जगदीष.बेजूए बादल.दिलीपए अनिल.अर्जूनए विजय.सुरेशए अजय.विनोदए झोन क्रमांक 2 में धनराज.बसंतए रमेश.मुंषीए महेन्द्र. नेहरूए रवि.सुरेशए संजय.बच्चूए इन्द्राबाई पति दिनेषए विजय.राजारामए झोन क्रमांक 3 में अशोक.मांगीलालए झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र.गोपालए भरत.रामलालए कैलाष. बच्चूए बंटी.दुर्गेशए दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 3 में रघुवीर.पुनमचन्दए नितिन. कमलए राजेश.दुलीचन्दए सुनिताबाई पति राजेशए विमलाबाई पति पंकजए बबीताबाई पति श्यामलालए उशाबाई पति अशोकए दीपक.अन्नीए अनिताबाई पति दीपकए झोन क्रमांक 4 में सुनिताबाई पति शिव इस तरह 28 कर्मचारी व दो दिवस में 61 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

कचरा संग्रहण वाहन के 12 हैल्पर का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 23 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के 23 अप्रैल को अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के 12 हैल्परों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

23 अप्रैल शनिवार को हैल्पर नरेन्द्र.ओमप्रकाश, दौलतराम, तुफान घोसर, विकास. गोवर्धन, सुनील, गोपाल.दिलीप, धीरज, लेखराज, संदीप षिन्दे, अंकित खत्री, संदीप.मुन्ना व मुकेश द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया।

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 23 अप्रैल । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 22 अप्रैल बुक्रवार को निरीक्षण किये जाने पर रवि.मुकेश, राहूल.राजकपूर, नरेन्द्र.नवीन, पंकज.फिरोज, राजा.कैलाश व आनन्द.बाबुलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंग

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 23 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंग के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंग किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 23 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2^ण0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिष्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए

मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 23 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य

रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारः जसंविण्डहेमन्तः 23 04 2022 षण्पाणनिगमए रतलामण